



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०



किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522-2720056

पत्रांक: विप०-1/(462)/2020- 1089

दिनांक: 27-11- 2020

1. समस्त उपनिदेशक (प्रशा०/विप०)
मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सभापति/सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-8/2020/1280/80-1-2020-600(10)/2020 लखनऊ, दिनांक-27 नवम्बर, 2020 द्वारा मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के बिक्री के सौदों पर संदेय मण्डी शुल्क की दर, मण्डी स्थल में ऐसे विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य की एक प्रतिशत (1%) होगी।

अतएव शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-8/2020/1280/80-1-2020-600(10)/2020 लखनऊ, दिनांक-27 नवम्बर, 2020 की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कि तदनुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।


(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 5वाँ तल, अलीगंज, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, लखनऊ।
8. समस्त उपनिदेशक (प्रशा०/विप०) मण्डी परिषद, मुख्यालय।
9. समस्त उपनिदेशक (निर्माण/वि०याँ०) मण्डी परिषद, उ०प्र०।
10. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियाँ, उ०प्र०।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सेल, मण्डी परिषद, मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेबसाइट/मैसेज बॉक्स पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाईल हेतु।

(कुमार विनीत)
अपर निदेशक (प्रशासन)



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2720383, 384, 137, 138, 139 फ़ैक्स : 0522-2720056



पत्रांक: विप०-1/(462)/2020- 1089

दिनांक: 27-11- 2020

1. समस्त उपनिदेशक (प्रशा०/विप०)
मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सभापति/सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-8/2020/1280/80-1-2020-600(10)/2020 लखनऊ, दिनांक-27 नवम्बर, 2020 द्वारा मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के बिक्री के सौदों पर संदेय मण्डी शुल्क की दर, मण्डी स्थल में ऐसे विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य की एक प्रतिशत (1%) होगी।

अतएव शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-8/2020/1280/80-1-2020-600(10)/2020 लखनऊ, दिनांक-27 नवम्बर, 2020 की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कि तदनुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोपरि।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय,
5वाँ तल, अलीगंज, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, लखनऊ।
8. समस्त उपनिदेशक (प्रशा०/विप०) मण्डी परिषद, मुख्यालय।
9. समस्त उपनिदेशक (निर्माण/वियोग) मण्डी परिषद, उ०प्र०।
10. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियाँ, उ०प्र०।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सेल, मण्डी परिषद, मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेबसाइट/मैसेज बॉक्स पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाईल हेतु।

(कुमार विनीत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या-8/2020/1280/80-1-2020-600(10)/2020
लखनऊ, दिनांक- 27 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-4565(1)/12-5-94-600(108)(1)/88, 15 दिसम्बर, 1994 का अधिकरण करके, राज्यपाल अधिसूचित करती है कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के बिक्री के सौदों पर संदेय मण्डी शुल्क की दर, मण्डीस्थल में ऐसे विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य की एक प्रतिशत होगी।

आज्ञा से,

डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-8/2020/1280(1)/80-1-2020 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की 250 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. ✓ निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से


(समर बहादुर)
अनुसचिव